# राजस्थान सरकार
# कार्यालय निदेशक, पब्लिक सर्विसेज,
# जन अभियोग निराकरण विभाग

कमांक–प.16(35)आरपीजी/लोसेगाअधि/2018/पार्ट–I जयपुर, दिनांक– 14.03.201

**समस्त सहायक निदेशक,**
**लोक सेवाएँ, राजस्थान।**

**विषयः–** राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के संबंध में।

**संदर्भः–** प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की आज्ञा कमांक प.13(5)प्रसु/सम/अनु–1/2011, दिनांक 01.04.2013 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्रानुसार राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 एवं आरपीजी सुगम (सम्पर्क) पोर्टल के जिला स्तर पर कियान्वयन, मॉनिटरिंग, नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, लोक सेवाएँ के अधीन सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ (राज. प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कार्मिक विभाग के माध्यम से) के पदों का सृजन किया गया है।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के पत्रांक प.16(1)प्रसु/सम/ अनु–1/2012, दिनांक 17.12.2012 द्वारा आम जन तक योजनाओं का लाभ पँहुचाने, योजनाओं की कियान्विति के लिये शासकीय कार्यालयों द्वारा क्या व्यवस्थाएँ की गई है, संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक इन कानूनों के तहत नागरिकों को राहत उपलब्ध कराने के प्रति कितने सजग और संवेदनशील है, योजनाओं से विशेषकर गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं तथा कियान्वयन में क्या–क्या समस्याएँ है, इन सभी बिन्दुओं के लिये निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके अनुसार समस्त जिला कलक्टरों को प्रतिमाह कम से कम 5 Designated Officers तथा Public Hearing Officers के कार्यालयों का निरीक्षण करने तथा माह में किये गये निरीक्षणों का कार्यालयवार विवरण आगामी माह की 10 तारीख तक प्रमुख शासन सचिव महो. को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित करने, इन निरीक्षणों का विवरण मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक अर्द्ध शासकीय पत्र में भी सम्मिलित करने एवं आरजीडीपीएस एवं आरटीएच अधिनियमों की पालना से संबंधित निरीक्षण कार्य के लिये अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उपखण्ड अधिकारियों तथा विकास अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

विभाग के पत्रांक प.26(1)प्रसु/अनु–1/सम/2017/पार्ट, दिनांक 30.01.2018 द्वारा सहायक निदेशक, लोक सेवाओं को जिले में स्थित कार्यालय जिनकी सेवाएँ अधिनियम से शासित है का कम से कम एक माह में एक बार एवं प्रतिदिन 2–3 कार्यालयों का तथा कार्यालय में संधारित किये जा रहे रिकार्ड का निरीक्षण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

विभाग के पत्रांक प.16(1)प्रसु/सम/ अनु–1/2012, दिनांक 30.01.2018 द्वारा जिला कलक्टर को इस बाबत निर्देश जारी किये गये है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी तरीके से जनसुनवाई कर समस्याओं का त्वरित गति से निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस कम में सहायक निदेशक, लोक सेवाओं द्वारा निम्नानुसार कार्य किये जाने अपेक्षित है:–

1. आरजीडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत संबंधित विभाग द्वारा अधिसूचित सेवाएँ आम जनता को प्रदान की जा रही है या नहीं का सुनिश्चय करना।
2. आरटीएच एक्ट के अनुसार जनसुनवाई का आयोजन प्रत्येक विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुसार किया जा रहा है।
3. उक्त दोनो अधिनियमों के कियान्वयन में किसी विभागीय अधिकारी को कोई कठिनाई हो तो उसका पता लगाकर उच्च स्तर पर अपने सुझावों सहित अवगत कराना।
4. आम जनता की शिकायतों के निस्तारण प्रकिया की मॉनिटरिंग तथा जिला स्तर पर कलक्टर के माध्यम से निर्देश जारी कराना।
5. कार्यालय में कोई व्यक्ति आकर अपना आवेदन/शिकायत/परिवेदना प्रस्तुत करता है, तो उसे प्राप्त कर संबंधित व्यक्ति को पावती रसीद देते हुये निस्तारण हेतु संबंधित विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. जिला कलक्टर को जिले में शिकायतों के निस्तारण की प्रगति से अवगत कराना तथा जिस विभागीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा उदासीनता दिखाई जा रही है, उन्हें एक्ट के प्रावधानों के अनुसार दण्डित कराने हेतु अनुशंषा करना।
7. दोनो अधिनियमों की कियान्विति के संबंध में सेवा प्रदाता विभागीय कार्यालयों के औचक निरीक्षण उपरान्त, निरीक्षणकर्ता की टिप्पणी कर आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जिला कलक्टर के माध्यम से जारी कराना। किसी बिन्दु पर विभागीय स्तर से कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है, तो उच्च स्तर पर अवगत कराया जावें। निरीक्षण रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. जिला कलक्टर के अधिनस्थ अन्य अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों को दूर कराने हेतु कलक्टर के माध्यम से निर्देश जारी करावें तथा संबंधित विभागाध्यक्ष को इस हेतु अपने सुझावों सहित कमियों को दूर करने हेतु अनुरोध करें।
9. आरजीडीपीएस एवं आरटीएच एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप अधिसूचित विभागीय कार्यालयों से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की निर्धारित प्रपत्रों में पाक्षिक सूचना इकजाई कर प्रत्येक माह की 05 व 20 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशक लोक

सेवाओं को ई–मेल आईडी **ard.dps@rajasthan.gov.in** पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

10. दोनो अधिनियमों के प्रावधानों के लिये आम जन में जागरूकता लाने हेतु आवश्यक प्रयास जैसेः–पम्पलेट्स प्रिन्ट करवाके वितरीत करवाना/बैनर/मीडीया/उत्सव/प्रदर्शनी/प्रतियोगिता आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जावें।
11. दोनो अधिनियमों के प्रभावी कियान्वयन हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था करें।
12. जिला कलक्टर द्वारा आयोजित जनसुनवाई/रात्रि चौपाल में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे तथा जनता की समस्याओं के समाधान में सहयोग करें और जनता में शासन के प्रति विश्वास जागृत करने के प्रयास करने में सहयोग करें। उक्त जनसुनवाईयों/रात्रि चौपालों के दौरान लोगो को सरकारी योजनाओं/अधिनियमों के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जावें।
13. उपखण्ड अधिकारियों द्वारा आयोजित जनसुनवाईयों की रिपोर्ट तैयार कर जिला कलक्टर को प्रस्तुत करना।
14. निदेशक, लोक सेवाएँ द्वारा आवंटित बजट का मदवार, नियमानुसार व्यय सुनिश्चित करें तथा अतिरिक्त बजट/नवीन आईटम क्रय आदि के प्रस्ताव समय रहते अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें।
15. अधिनियमों के तहत प्रकरणों के निर्धारित समयावधि के पश्चात, लम्बित रहने के क्या कारण है? भलि भांति समीक्षा की जावे तथा प्रकरणों के त्वरित निस्तारण हेतु सार्थक प्रयास किये जावें।
16. अधिनियमों के तहत वांछित रिकार्ड संधारण, आवश्यक सूचनाओं के प्रदर्शन तथा परिवेदनाओं का सही मायने में निस्तारण सुनिश्चित किया जावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

5/3

**(रविशंकर श्रीवास्तव)**
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव, कैबिनेट सचिवालय, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री जन अभियोग निराकरण विभाग, मंत्रालय भवन, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव(मुख्यमंत्री), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

**(नरेश कुमार ठकराल)**
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग–1)

क्रमांक: प.16(1) प्रशासु/सम/अनु–1/2012 जयपुर दिनांक 17 दिसम्बर, 2012

समस्त जिला कलक्टर,

राजस्थान

विषय: राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011, सुगम प्रणाली एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के क्रियान्वयन हेतु निरीक्षण करने बाबत।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार ने आम जन को राहत एवं समयबद्ध सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 14 नवम्बर 2011 से "राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011" लागू किया है तथा आम नागरिकों के अभाव अभियोगों एवं शिकायतों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु सुगम पोर्टल प्रणाली दिनांक 12.06.2011 से प्रारम्भ की है। इसी भांति आम जन को सुनवाई का अधिकार प्रदान करने के लिये दिनांक 01.08.2012 से "राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012" लागू किया गया है। जैसाकि आपको विदित है ये दोनों अधिनियम राज्य सरकार की Flagship schemes में हैं और शासन का मन्तव्य है कि इनका लाभ आम आदमी तक पहुंचे। इन योजनाओं के क्रियान्वय की माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं मुख्य सचिवजी के स्तर पर समय–समय पर समीक्षा की जा रही है। राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 की ऑन लाइन मॉनिटरिंग प्रणाली (MIS Portal) भी शुरू की है।

आम जन तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने, योजनाओं की क्रियान्विति के लिए शासकीय कार्यालयों द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक इन कानूनों के तहत नागरिकों को राहत उपलब्ध कराने के प्रति कितने सजग और संवेदनशील हैं, इन योजनाओं से विशेषकर गरीब व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं तथा क्रियान्वयन में क्या – क्या समस्याएं हैं, इन सभी बिन्दुओं के लिए निरीक्षण किये जाने आवश्यक हैं।

अतः समस्त जिला कलक्टरों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिमाह कम से कम 5 Designated Officers तथा Public Hearing Officers के कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा माह में किये गये निरीक्षणों का कार्यालयवार विवरण आगामी माह की 10 तारीख तक मुझे अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इन निरीक्षणों का विवरण मुख्य सचिवजी को प्रेषित किये जाने वाले मासिक अर्द्ध शासकीय पत्र मे भी सम्मिलित किया जाये। इन अधिनियमों की पालना से संबंधित निरीक्षण कार्य के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उपखण्डाधिकारियों तथा विकास अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान करें।

निरीक्षण कार्य में सुविधा की दृष्टि से पूर्व में प्रेषित निरीक्षण प्रपत्र की प्रति पुनः संलग्न की जा रही है।

संलग्नः निरीक्षण प्रपत्र।

भवदीय,

(चन्द्र मोहन मीणा)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव / उप सचिव, मुख्य सचिव।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।

17.12.2012

(कैलाश लाल)
निदेशक, पब्लिक सर्विसेज,
प्रशासनिक सुधार विभाग

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग–1)

क्रमांक:प.13(5)प्रसु./सम./अनु–1/2011 जयपुर, दिनांक: 01 अप्रैल, 2013

<u>आज्ञा</u>

राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं आरपीजी सुगम पोर्टल के राज्य एवं जिला स्तर पर क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग, नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, लोक सेवाएं के अधीन वित्तीय वर्ष 2013–2014 में निम्नांकितानुसार पद सृजन किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।

निदेशालय स्तर पर सृजित पदों का व्यय लेखा मद 2052–00–090–(03)–[00](NP) एवं जिला स्तर पर सृजित पदों का व्यय लेखा मद 2053–00–800–(02)–[00](आयोजना भिन्न) को प्रभार्य होगा :–

<u>लोक सेवा निदेशालय:</u>

| क्र. सं. | पदनाम | पदों की संख्या | स्तर | रनिंग पे बैण्ड | ग्रेड पे | भर्ती का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त निदेशक | 1 | लोक सेवा निदेशालय | 37400–67000 | 8700 | राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कार्मिक विभाग के माध्यम से |
| 2 | एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) | 1 | " | 15600–39100 | 6600 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से |
| 3 | सहायक सांख्यिकी अधिकारी | 2 | " | 9300–34800 | 3600 | आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग के माध्यम से |
| 4 | सूचना सहायक | 3 | " | 5200–20200 | 2400 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से |
| 5 | शीघ्र लिपिक | 2 | " | 9300–34800 | 3200 | कार्मिक विभाग के माध्यम से |
| 6 | कनिष्ठ लिपिक | 3 | " | 5200–20200 | 1900 | कार्मिक विभाग के माध्यम से |
| 7 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 3 | " | 4750–7440 | 1300 | कार्मिक विभाग के माध्यम से |

<u>जिला स्तर (जिला कार्यालयों हेतु)</u>

| क्र. सं. | पदनाम | पदों की संख्या | स्तर | रनिंग पे बैण्ड | ग्रेड पे | भर्ती का तरीका |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक निदेशक, लोक सेवाएं | 33 | जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक पद | 15600–39100 | 5400 | राज. प्रशासनिक सेवा का अधिकारी कार्मिक विभाग के माध्यम से |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | सूचना सहायक | 33 | जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक पद | 5200–20200 | 2400 | सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक | 33 | जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में एक पद | 5200–20200 | 1900 | जिला कलक्टर कार्यालय के माध्यम से |
| 4 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 66 | जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में दो पद | 4750–7440 | 1300 | जिला कलक्टर कार्यालय के माध्यम से |

यह आज्ञा वित्त(व्यय–2)विभाग की आई.डी.संख्या 101300440 दिनांक 12.02.2013 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

आज्ञा से,

(सी.एम. मीना)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्रीजी, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
8. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर
11. निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार विभाग।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2)विभाग को उनकी आई.डी.संख्या 101300440 दिन. 12.02.2013 के संदर्भ में प्रेषित है।
13. शासन उप सचिव, कार्मिक(ख–1)विभाग।
14. पंजीयक, शासन, सचिवालय, जयपुर।
15. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. कोषाधिकारी, शासन सचिवलय/समस्त जिला कोषालय, राजस्थान।
17. ए.सी.पी.कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
18. रक्षित पत्रावली।

(आर.सी. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

**राजस्थान सरकार**
**कार्यालय निदेशक, पब्लिक सर्विसेज**
**जन अभियोग निराकरण विभाग**

**क्रमांकः प.26(1)प्र.सु./अनु–1/सम/2017/पार्ट** **जयपुर दिनांकः–** 30.01.2018

**समस्त** सहायक निदेशक,
**लोक** सेवाएँ।

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 तथा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के **कियान्वयन हेतु निरीक्षण** करने बाबत्।

संदर्भः– इस विभाग का पत्र क्रमांक प.16(1)प्रसु/सम/अनु–1/2012 दिनांक 17.12.2012।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आम जन को राहत देने एवं समयबद्ध सेवाऐं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 14 नवम्बर, 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 तथा दिनांक 01.08.2012 से सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया गया है। वर्तमान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 में 25 विभागों की कुल 221 सेवाऐं सम्मिलित है।

आम जन तक उक्त अधिनियमों के तहत शासित सेवाओं की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्थाए की गई है, संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक इन कानूनों के तहत नागरिको को राहत उपलब्ध कराने के प्रति कितने संवेदनशील है, इन अधिनियमो की क्रियान्विति से विशेषकर आम जन को लाभ मिल रहा है या नही तथा कियान्वयन में क्या–क्या समस्याए आ रही है, इन सभी बिन्दुओं के लिए निरीक्षण किये जाने आवश्यक होने के कारण पूर्व में संदर्भित पत्र द्वारा समस्त जिला कलक्टर को अधिनियमों की पालना से संबंधित निरीक्षण कार्य के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करने हेतु लिखा गया था।

जिले में स्थित कार्यालयों जिनकी सेवाए Act. से शासित है का कम से कम एक माह में एक बार निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

अतः अपेक्षित है कि प्रतिदिन 2–3 कार्यालयों का एवं कार्यालय में संधारित किये जा रहे रिकार्ड का भी निरीक्षण किया जावें ताकि एक माह में एक बार सभी कार्यालयों का निरीक्षण हो सके। प्रतिमाह अपनी स्पष्ट टिप्पणी सहित निरीक्षण रिपोर्ट जिला कलक्टर के माध्यम से इस विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(उर्मिला सजोरिया)
**निदेशक, लोक सेवाऐं**

**राजस्थान सरकार**
**जन अभियोग निराकरण विभाग**

क्रमांकः प.16(1)प्र.सु./सम/अनु–1/2012 जयपुर दिनांकः 30/1/2018

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011 एंव राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के कियान्वयन हेतु निरीक्षण करने बावत्।

महोदय/महोदया,

राज्य सरकार ने आम जन को राहत एंव समयबद्व सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 14 नवम्बर 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम, 2011, लागू किया है तथा आम नागरिको के अभाव अभियोगों एवं शिकायतों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु दिनांक 01.08.2012 से राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया गया है।

आमजन तक इन योजनाओ के लाभ पहुंचाने, योजनाओं की कियान्विति एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु समस्त जिला कलक्टर्स को इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक संख्या प.16(1)प्र.सु./सम/अनु–1/2012 दिनांक 17.12.2012 द्वारा निरीक्षण बिन्दुओं का नमूना–प्रारूप संलग्न कर समस्त जिला कलक्टर्स को प्रतिमाह कम से कम 05 Designated Officers तथा Public Hearing Officers के कार्यालयों का निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था । वर्तमान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत 25 विभागों की 221 सेवाऐं प्रदान की जा रही है।

समस्त जिला कलक्टरों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे प्रतिमाह कम से कम 5 Designated Officers तथा Public Hearing Officers के कार्यालयों का निरीक्षण करें तथा माह में किये गये निरीक्षणों का कार्यालयवार विवरण आगामी माह की 10 तारीख तक मुझे अर्द्व शासकीय पत्र के माध्यम से प्रेषित करें। इन निरीक्षणों का विवरण मुख्य सचिव जी को प्रेषित किये जाने वाले मासिक अर्द्व शासकिय पत्र में सम्मिलित किया जाये। इन अधिनियमों की पालना से संबंधित निरीक्षण कार्य के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परीषद उपखण्ड अधिकारीयों तथा विकास अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान करे।

निरीक्षण कार्य में सुविधा की दृष्टि से **संशोधित निरीक्षण प्रपत्र** भी संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

संलग्नः **निरीक्षण पत्र।**

भवदीय,

(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार समन्वय (ग्रुप–1) विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
5. सहायक निदेशक, लोक सेवाएं (समस्त), राजस्थान।
6. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव